आखिरी जांच: 7 अक्टूबर 2026 · Revenue and Disaster Management Department (Social Security Schemes)

Destitute/Deserted Wives Pension Scheme (DDWPS)

तमिलनाडु राज्य के पैसे से उन निराश्रित महिलाओं को हर महीने पेंशन देता है जिन्हें पति ने छोड़ दिया है, जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं या जिनके पास कानूनी अलगाव का प्रमाण पत्र है।

क्या मिल सकता है

हर महीने 1,200 रुपये की पेंशन, जो पूरी तरह राज्य सरकार देती है। 2026-27 के नीति नोट में जुलाई 2026 के भुगतान में 1,14,721 लाभार्थी दिखाए गए हैं। भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीटी से होता है।

किसके लिए है

तमिलनाडु की 30 साल या उससे ज्यादा उम्र की निराश्रित महिलाएं, जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं, कम से कम 5 साल से परित्यक्त हैं या कानूनी रूप से अलग हो चुकी हैं।

मुख्य शर्तें

- महिला निराश्रित हो और उसकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा हो।
- वह कानूनी रूप से तलाकशुदा हो या कम से कम 5 साल से परित्यक्त हो, या सक्षम अदालत का कानूनी अलगाव प्रमाण पत्र उसके पास हो।
- उसकी अचल संपत्ति 1,00,000 रुपये से ज्यादा न हो।

आवेदन कैसे करें

1. तमिलनाडु के ई-सेवई सामाजिक सुरक्षा पोर्टल tnesevai.tn.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2. ग्राम प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व निरीक्षक दावे की जांच करके तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजनाएं) को मंजूरी या अस्वीकृति की सिफारिश भेजते हैं।
3. इन पेंशनों के ऑनलाइन आवेदनों की जांच और निपटारा 30 दिन में करने का लक्ष्य है। इसके बाद खाली जगह बनने पर वरिष्ठता के क्रम से पेंशन दी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cms.tn.gov.in/cms_migrated/document/docfiles/revenue_e_pn_2026_27.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://www.tnesevai.tn.gov.in
आधिकारिक PDF: https://cms.tn.gov.in/cms_migrated/document/docfiles/revenue_e_pn_2026_27.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tamil-nadu/tn-destitute-deserted-wives-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।